इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013—आषाढ़ 21, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. एफ 2(अ)385-2009-बी-4-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त रेग्यूलेशन में,—

(1) रेग्यूलेशन 198 के स्थान पर, निम्नलिखित रेग्यूलेशन स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''198. **निरीक्षक की श्रेणी तक के पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण.**—निरीक्षक श्रेणी तक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता वाले पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किए जाएंगे तथा उप पुलिस अधीक्षक व उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण, पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे.''.

(2) रेग्यूलेशन 215 के स्थान पर, निम्नलिखित रेग्यूलेशन स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''215. **निरीक्षक की श्रेणी तक के पुलिस अधिकारियों को दण्ड.**—उपरोक्त के अतिरिक्त, आरक्षक से निरीक्षक की श्रेणी तक के अधिकारियों पर, निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी.—

(क) एक माह से अनधिक तक के वेतन की किसी राशि का जुर्माना.

(ख) विशिष्टता वाले या विशेष परिलब्धियों वाले किसी पद से हटाया जाना.

(ग) अधिक्रमण.

टिप्पणी.—(1) मुख्य आरक्षक या आरक्षक जो प्रशिक्षित वायरलेस मैकेनिक तथा आपरेटर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट चालक, अश्रुगैस दल के सदस्य या ड्रिल अनुदेशक, आर्मरर या सहायक आर्मरर के कर्तव्य करने के कारण विशेषज्ञ वेतन प्राप्त करता है, अपने कर्तव्य में लापरवाही या सुस्ती का दोषी पाया जाता है, तो बिना औपचारिक विभागीय जांच के, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा एक माह के विशेषज्ञ वेतन की सीमा तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा. ऐसे जुमाने की वसूली एवं व्ययन टिप्पणी (2) के अनुसार होगा तथा जुर्माने की राशि इनाम और दण्ड विवरणी में प्रदर्शित की जाएगी. यथा उपरोक्त और रेग्यूलेशन 548 में अधिकथित किए गए के सिवाय किसी आरक्षक पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

(2) जुर्माना नकद में वसूल किया जाना चाहिए और पुलिस सहायता कोष में जमा किया जाना चाहिए. स्थापना के वेतन देयकों में उन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए.

(3) रेग्यूलेशन 221 के स्थान पर, निम्नलिखित रेग्यूलेशन स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**221. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक की शक्तियां.**—सहायक पुलिस महानिरीक्षक या कोई पुलिस अधीक्षक, दण्ड देने की निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे :—

(क) मुख्य आरक्षकों या आरक्षकों को रेग्यूलेशन 214 से 217 तक में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड देने की शक्ति.

(ख) उप निरीक्षकों तथा सहायक उप निरीक्षकों को रेग्यूलेशन 214 (एक) एवं (चार) या रेग्यूलेशन 215 (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने या उप निरीक्षकों तथा सहायक उप निरीक्षकों की एक वर्ष की अवधि के लिये उस तारीख से, जिसको कि वेतनवृद्धि देय होती है, वेतनवृद्धि रोकने की शक्ति.

(ग) उप निरीक्षक तथा सहायक उप निरीक्षक के वेतन में कमी करने की शक्ति.

(ग-एक) निरीक्षकों को परिनिंदा का दण्ड देने की शक्ति.

(घ) आरक्षक से लेकर निरीक्षक की श्रेणी तक के किसी अधिकारी को, उसके आचरण के संबंध में जांच लंबित रहने तक निलंबित करने की शक्ति.

(4) रेग्यूलेशन 222 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) निरीक्षक की श्रेणी तक के अधिकारियों को उनकी आचरण संबंधी जांच लंबित रहने तक, निलंबित करने की शक्ति;"

(5) रेग्यूलेशन 223 के स्थान पर, निम्नलिखित रेग्यूलेशन स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**223. जोनल पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के समकक्ष किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां.**—जोनल पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के समकक्ष कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा :—

(क) निरीक्षक तक की श्रेणी के किन्हीं अधिकारियों को, उनके आचरण की जांच के लंबित रहने तक, निलंबित करने की शक्ति.

(ख) प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक को रेग्यूलेशन 216 तथा 217 में विनिर्दिष्ट दण्ड देने की शक्ति.

(ग) आरक्षकों से लेकर निरीक्षकों तक की समस्त श्रेणियों पर रेग्यूलेशन 214 और 215 में विनिर्दिष्ट शास्तियों का दण्ड देने की शक्ति.

(6) रेग्यूलेशन 513 के स्थान पर, निम्नलिखित रेग्यूलेशन स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**513. रक्षित निरीक्षकों के कर्तव्य.**—रक्षित निरीक्षक, मुख्य लिपिक से ऊपर कार्यालय के तत्काल प्रभार में रहेगा तथा कार्यालय के कर्मचारिवृन्द पर पर्यवेक्षण बनाए रखेगा तथापि यह आवश्यक या वांछनीय नहीं है कि उसे कार्यालय का बहुत अधिक कार्य सौंपा जाए और निपटारे के लिये आने वाले समस्त मामले उसके माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं. कार्यालय के कार्य की कतिपय निश्चित मदें उसे आवंटित की जानी चाहिए. विशेषतया सेवा नामावली तथा आदेश पुस्तिका और अवकाश

आवेदनों का निराकरण, आदि और वह सभी लिपिकों के कार्यों के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगा. कार्यालय के प्रभार के संबंध में वह पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर की श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा.

(7) रेग्यूलेशन 561 में, खण्ड (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(चार) रक्षित निरीक्षक/क्वार्टर मास्टर/सूबेदार, घटकों की स्टॉक पुस्तिका संधारित करेगा जिसमें प्रत्येक वस्तु के लिये एक कॉलम दिया जाएगा. हस्तगत प्रत्येक वस्तु की संख्या लाल स्याही से प्रविष्ट की जाएगी, कोई व्यय नीचे प्रविष्ट किया जाएगा जिसके साथ काम में आए हथियारों की संख्या लिखी जाएगी. अतिशेष को मासिक रूप से निकाला जाएगा. हस्तगत स्टॉक के साथ अतिशेष की जांच प्रत्येक छह माह में उप पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर की श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा स्टॉक पुस्तिका पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. एफ 2(अ) 385-2009-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 जुलाई, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2013

No. 2(a)385-2009-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 of the Police Act, 1861 (No. V of 1861), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely :–

AMENDMENTS

In the said Regulation,—

(1) for Regulation 198, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**198. Transfer of Police officers up to the rank of Inspector.**—The Police officers up to the rank of Inspector shall be transferrred by Police Establishment Board headed by the Director General of Police, Madhya Pradesh and the Duputy Superintendent of Police and above rank officers shall be transferred by the State Government on the recommendation of Police Establishment Board.".

(2) for Regulation 215, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**215. Punishment for Police officers up to the rank of Inspector.**—In addition to the above, the following penalties may be imposed on officers from Constable to Inspectors :—

(a) Fine to any amount not exceeding a months pay.

(b) Removal from any office of distinction or special emolument.

(c) Supersession

Note.—(1) A head constable or constable in receipt of specialist pay for performing the duty of a trained wireless mechanic and operator, a mechanical transport driver, a member of Tear Gas Squad or Drill Instructor, an Armourer or Assistant Armourer if found guilty of negligence or slackness in the discharge of his duty, may be fined without a formal departmental enquiry to the extent of one months specialist pay by an officer not below the rank of Superintendent of Police. The recovery and disposal of such fine shall be in accordance with Note (2) and the amount of fine shall be shown in the Reward and punishment Return. Except as aforesaid and as laid down in Regulation 548 no constables shall be fined.

(2) Fines should be recovered in cash and credited to the Police benevolent Fund. They should not appear in the establishment pay bills.

(3) for Regulation 221, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**221. Powers of senior Superintendent of Police and Superintendent of Police.**—An Assistant Inspector General or a Superintendent of Police shall exercise the following powers of punishments :—

(a) Power to inflict any of the punishments specified in Regulation 214 to 217 on head constables and constables.

(b) Power to inflict on Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspectors the penalties specified in Regulation 214 (i) and (iv) or in Regulation 215 (a) and (b) or to withhold the increment of a Sub-Inspector and an Assistant Sub-Inspector for a period of one year from the date on which it falls due.

(c) Power to reduce the pay of Sub-Inspector and an Assistant Sub-Inspector.

(c-i) Power to inflict the punishment of censure on Inspector.

(d) Power to suspend and officer of the rank of constable to Inspector pending enquiry into his conduct.

(4) in Regulation 222, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) Power to suspend officers up to the rank of Inspector pending enquiries into their conduct;"

(5) for Regulation 223, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**223. Powers of the Zonal Inspector General of Police or any Police officer equivalent to the rank of Inspector General of Police.**—The Zonal Inspector General of Police or any Police officer equivalent to the rank of Inspector General of Police to exercise the following powers :—

(a) Power to suspend any officers up to the rank of Inspector pending enquiry into their conduct.

(b) Power to inflict any of the punishments specified in Regulation 216 and 217 on head constabales and constables.

(c) Power to inflict on all ranks from Constables to Inspector any of the penalties specified in Regulation 214 and 215.

(6) for Regulation 513, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**513. Duties of Reserve Inspector.**—The Reserve Inspector will be in immediate charge of the office over the head clerk and will maintain supervision over the working of the office staff. It is

not, however, necessary or desirable that he should be given too much office work to deal with, and all cases which come up for disposal need not be submitted through him. Certain definite items of office work should be allotted to him, notably the maintenance of service rolls and the order book and the disposal of leave, applications, etc., and he should maintain general supervision over the work of all the clerks. In respect of charge of the office, he will of course be under the general control of the Superintendent of Police, or of his Gazetted officer of the rank of Deputy Superintendent of Police and above.

(7) In Regulation 561, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iv) The Reserve Inspector/Quarter Master/Subedar will maintain stock book of components, in which a column should be given to each article. The number of each article in hand should be entered in red ink, any expenditure being entered below, with note of number of the weapons dealt with. A balance should be struck monthly. Every half-year, the balance should be checked with the stock in hand by a Gazetted officer of the rank of Deputy Superintendent of Police and above and stock book countersigned.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.